

स्वच्छता सूचकांक

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वच्छता के संबंध में किये जा रहे विभिन्न प्रयासों और उनसे मिलने वाले परिणामों को दीर्घकालिक बनाने के लिये लिये भी प्रयास आरम्भ किये गये हैं। इस संबंध में हाल ही में एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है¹ जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वच्छता को मापने के लिये **ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक** और **ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक** को तय किया जा सकेगा। इस काम का एक उद्देश्य साफ-सफाई के संबंध में गाँवों, ग्राम पंचायतों, विकास खण्डों, जिलों और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना भी है।

क्या है ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक ?

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा देश भर के 75 जिलों में से 70,000 से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण करके सफाई को मापने के लिये आवश्यक कारकों की पहचान की गयी। इसके बाद कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके स्वच्छता सूचकांक और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया गया।

सूचकांक

ऐसा कोई भी स्रोत जो कोई सूचना दे उसे बोल-चाल की भाषा में सूचक कहते हैं। यदि यह जानकारी उस स्रोत से एक निर्धारित अंक की तुलना में दी जाय तो उसे सूचकांक कहा जाता है।

स्वच्छता सूचकांक

स्वच्छता सूचकांक को तैयार करने के लिये चार घटकों का चयन किया गया जो निम्नवत हैं—

- सुरक्षित शौचालयों तक पहुँच वाले (और उपयोग करने वाले) परिवारों का प्रतिशत (X₁),
- उन घरों का प्रतिशत जिनके परिसर के बाहर कोई कूड़ा नहीं है (X₂),
- कूड़ा मुक्त सार्वजनिक स्थानों का प्रतिशत (X₃),
- उन घरों का प्रतिशत जिनके घर के चारों ओर गंदे पानी का जमाव नहीं है (X₄),

¹ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र एस-16012/02/2016-एसबीएम दिनांक 8 सितम्बर, 2016।

वर्तमान में इन चार घटकों के आधार पर स्वच्छता सूचकांक और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक को तय किया जाना है।

सुरक्षित शौचालय का अर्थ ऐसे सुरक्षित विकल्पों वाले शौचालय से है जिससे सतही मिट्टी, भूजल या सतही जल प्रदूषित न हो, मल तक मक्खियों की पहुँच न हो, नये मल का स्थानान्तरण न हो और दुर्गंध एवं भद्दी स्थिति से मुक्ति मिलती हो।

कूड़े का अर्थ है पशु मल सहित ठोस कचरा। इसमें निपटान हेतु ढके हुये कूड़ादान में रखा गया कचरा शामिल नहीं है। इसमें कृषि तथा अन्य उपयोग के लिये घर के परिसर में संग्रहित पशु का गोबर भी शामिल नहीं होगा।

अनुभवों और चर्चा के आधार पर इन सभी घटकों को कुछ मान (वेटेज) भी दिया गया। इस आधार पर स्वच्छता सूचकांक की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है—

$$\text{स्वच्छता सूचकांक (C)} = 0.4 X_1 + 0.3X_2 + 0.2X_3 + 0.1X_4$$

स्वच्छता सूचकांक इस बात को बताता है कि गाँव में समग्र सफाई कितनी है। मुख्य रूप से यह इस बात को भी बताता है कि गाँव में शौचालय और उसके उपयोग की क्या स्थिति है क्योंकि स्वच्छता सूचकांक में सबसे अधिक मान इसी को दिया गया है।

प्रतिशत की गणना कैसे की जाय ?

प्रतिशत की गणना करना बहुत आसान है। प्रतिशत में शत (यह संस्कृत का एक शब्द है) का अर्थ है सौ (100) और प्रति का भाव है 'कितनी बार'। अर्थात् 100 बार गिनने में ऐसी संख्या (या वस्तु या कुछ अन्य जिसके आधार पर गणना की जा रही है) कितनी बार आती है।

उदाहरण के लिये यदि छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के अंघला ग्राम पंचायत में 550 परिवार हैं और उनमें से 536 परिवारों की सुरक्षित शौचालयों तक पहुँच है (और उनके द्वारा इसका उपयोग भी किया जाता है) तो इस आधार पर अंघला ग्राम पंचायत में X_1 का मान हुआ —

$$X_1 = \frac{\text{सुरक्षित शौचालयों तक पहुँच वाले (और उनका उपयोग करने वाले) परिवारों की संख्या}}{\text{अंघला ग्राम पंचायत के कुल परिवारों की संख्या}} \times 100$$

536

$$X_1 = \frac{536}{550} \times 100 = 97.5 \text{ प्रतिशत}$$

इसी प्रकार जिन घरों का के परिसर के बाहर कोई कूड़ा नहीं है उन परिवारों (X_2) को भी प्रतिशत में मापा जा सकता है। ऐसे ही (X_3) और (X_4) की गणना भी की जा सकी है।

इस उदाहरण के अनुसार यदि अंघला ग्राम पंचायत में

- ✓ 416 घर ऐसे हैं जिनके परिसर के बाहर कोई कूड़ा नहीं है (550 में से),
- ✓ 27 कूड़ा मुक्त सार्वजनिक स्थान (44 में से),
- ✓ 313 घर ऐसे हैं जिनके घर के चारों ओर गंदे पानी का जमाव नहीं है (550 में से),

तो अंघला ग्राम पंचायत में X_2, X_3, X_4 का मान निम्न प्रकार होगा—

$$X_2 = \frac{\text{ऐसे घर जिनके परिसर के बाहर कोई कूड़ा नहीं है}}{\text{अंघला ग्राम पंचायत के कुल परिवारों की संख्या}} \times 100 = \frac{416}{550} \times 100 = 75.6 \text{ प्रतिशत}$$

$$X_3 = \frac{\text{कूड़ा मुक्त सार्वजनिक स्थानों का प्रतिशत}}{\text{अंघला ग्राम पंचायत के कुल सार्वजनिक स्थानों की संख्या}} \times 100 = \frac{27}{44} \times 100 = 61.4 \text{ प्रतिशत}$$

$$X_4 = \frac{\text{ऐसे घरों की संख्या जिनके चारों ओर गंदे पानी का जमाव नहीं है}}{\text{अंघला ग्राम पंचायत के कुल परिवारों की संख्या}} \times 100 = \frac{313}{550} \times 100 = 56.9 \text{ प्रतिशत}$$

इस प्रकार X_1, X_2, X_3, X_4 के आधार पर अंघला ग्राम पंचायत के स्वच्छता सूचकांक की गणना निम्न प्रकार से होगी —

$$\begin{aligned} \text{अंघला ग्राम पंचायत का स्वच्छता सूचकांक (C)} &= 0.4 \times 97.5 + 0.3 \times 75.6 + 0.2 \times 61.4 + 0.1 \times 56.9 \\ &= 39.0 + 22.7 + 12.3 + 5.7 = 79.7 \end{aligned}$$

घर के परिसर के बाहर का अर्थ है घर की सीमा से 10 फीट की दूरी। इसी प्रकार गंदे जल का अर्थ है घरों से निकलने वाला गंदा पानी (बर्तन या कपड़े धोने के बा निकलने वाला पानी) एवं सीवेज का पानी। इसमें बारिश के बाद जमा पानी शामिल नहीं है।

सार्वजनिक स्थानों में अस्पताल, स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, पूजा स्थल, बाजार आदि शामिल हैं। सफाई के लिये सार्वजनिक स्थानों की सीमा से 25 फीट की दूरी तक किसी प्रकार का कूड़ा नहीं होना चाहिये।

ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक

ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन संबंधित सूचकांक बनाने के लिये थोड़ी अलग प्रक्रिया अपनायी गयी है। इस काम के लिये केवल तीन घटकों को चुना गया है जो निम्नलिखित हैं—

- उन घरों का प्रतिशत जिनके परिसर के बाहर कोई कूड़ा नहीं है (X_2),
- कूड़ा मुक्त सार्वजनिक स्थानों का प्रतिशत (X_3),
- उन घरों का प्रतिशत जिनके घर के चारों ओर गंदे पानी का जमाव नहीं है (X_4),

इसमें सबसे अधिक महत्व या मान (वेटेज) ऐसे घरों को दिया गया है जिनके परिसर के बाहर कोई कूड़ा नहीं है। ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन संबंधित सूचकांक क्षेत्र के पर्यावरणीय सफाई को बताता है। ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है—

ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन संबंधित सूचकांक (S) = $0.5X_2 + 0.33X_3 + 0.17X_4$

ग्राम पंचायत अंघला के उदाहरण को सामने रखने पर यदि इस ग्राम पंचायत के ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन संबंधित सूचकांक निम्नलिखित प्रकार से निकाला जा सकता है—

$$\begin{aligned} \text{अंघला का ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक (S)} &= 0.5 \times 75.6 + 0.33 \times 61.4 + 0.17 \times 56.9 \\ &= 37.8 + 20.3 + 9.7 = 67.8 \end{aligned}$$

ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक का निर्धारण

ग्राम पंचायतों के द्वारा अपने क्षेत्र के स्वच्छता संबंधी आँकड़ों को को एम. आई. एस. के माध्यम से लगातार राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ग्राम पंचायतों के द्वारा इस प्रकार के आँकड़े उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिनके आधार पर ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक का निर्धारण किया जा सकता है।



पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इस काम में लोगों की सहभागिता बढ़ाने, आँकड़ों में पारदर्शिता लाने और ग्राम पंचायतों को अपने आँकड़ों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिये ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक तय करने का निर्णय लिया गया है। बड़ी आबादी वाले ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक में आने वाली समस्या को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के साथ 20 लोग बैठकर सभा कर सकते हैं और सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म में जानकारी देकर इन सूचकांकों का निर्धारण कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों के द्वारा इन जानकारियों को इकट्ठा कर एम. आई. एस. के रूप में इसे अपलोड किया जा सकता है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम स्तरीय ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन सूचकांक 31 दिसंबर 20016 तक उपलब्ध कराना होगा।

ग्राम सभा की बैठक के लिये फार्मेट

ग्राम ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला.....
की सफाई मानकों का मूल्यांकन करने के लिये दिनांक को आयोजित ग्राम सभा की बैठक का विवरण हमारे जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक है। हम एक मत से घोषणा करते हैं कि –

1. सुरक्षित शौचालयों तक पहुँच वाले (और उपयोग करने वाले) परिवारों का प्रतिशत (.....) है।
2. उन घरों का प्रतिशत जिनके परिसर के बाहर कोई कूड़ा नहीं है (.....) है।
3. कूड़ा मुक्त सार्वजनिक स्थानों का प्रतिशत (.....) है।
4. उन घरों का प्रतिशत जिनके घर के चारों ओर गंदे पानी का जमाव नहीं है (.....) है।

ग्राम सभा बैठक में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि(यों) और गाँव के अन्य वयस्क लोगों के नाम और हस्ताक्षर

क्र. सं.	ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि(यों) और गाँव के अन्य वयस्क लोगों के नाम (मोबाइल नंबर के साथ)	हस्ताक्षर

प्रिया के बारे में

प्रिया सहभागी शोध एवं प्रशिक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र है जिसकी स्थापना 1982 में हुई। अपने कार्यक्रमों को करने के लिये विश्व के स्तर पर प्रिया के साथ उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3000 गैर सरकारी संगठनों से साझेदारी है और देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

वर्तमान में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रिया के कार्यक्रमों का निम्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप है:

- **लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने** के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना और विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों के कामकाज में ऐसी बाधाओं को खत्म करना जिससे घरेलू, स्कूलों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों, सड़क, कार्यस्थल इत्यादि स्थानों पर लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोका जा सके। 'कदम बढ़ाते चलो' अभियान, जिसका सफल संचालन हरियाणा में ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में किया गया, युवाओं द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है जिसे अन्य स्थानों पर भी आरम्भ किया जा रहा है।
- **पेयजल और सफाई को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिये नये हल ढूँढने के काम** का केन्द्र बुनियादी सेवाओं को सही ढंग से वितरित करने, विशेषकर अनुसूचित जनजाति और शहरी गरीब बस्तियों में, करने पर है। प्रिया के द्वारा युवाओं की क्षमताओं और दक्षताओं को बढ़ाया जाता है, लड़कियों और महिलाओं को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे जेंडर संबंधित भेदभाव और विकृतियों को खत्म किया जा सके। शहरी गरीब समुदायों के युवा (लड़के और लड़कियाँ) नई तकनीकों जैसे जी.पी.एस. और मोबाईल फोन आधारित सर्वेक्षण इत्यादि को सीख रहे हैं, जिससे पेयजल और सफाई की सेवाओं के लिये नगर पालिकाओं को सामुदायिक फीडबैक दिया जा सके।
- **मानवीय और संस्थागत क्षमताओं** को बढ़ाना जिससे सरकारी, व्यावसायिक जगत के कामों को और पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीकों से किया जा सके और जेंडर को मुख्य धारा में लाने और महिलाओं के नेतृत्व को सक्षम बनाना जा सके। भारत और विश्व के दक्षिणी देशों, जो पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से अल्प विकसित रहे हैं, इस तरह की क्षमताओं की कमी को विशेष रूप से हल करने का प्रयास किया जा रहा है।



ज्ञान. आवाज. लोकतंत्र.

प्रिया

पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया)

42, तुगलकाबाद इंस्टिट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली - 1100062

फोन- 91-11-2996 0931/32/33, फैक्स- 91-11-2995 5183

ई मेल- info@pria.org, वेब- www.pria.org

सहयोग

 WaterAid